रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2014/श्रावण 15, 1936
No. 196] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2014/SHRAVANA 15, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2014

सं. 68 (आर.ई.–2013)/2009–2014

विषय : खोज एवं निगरानी के प्रयोजन से भेषजों और औषधों की निर्यात खेप पर द्वितीयक स्तर की पैकेजिंग के रूप में मोनो–कार्टन पर बार–कोडिंग के कार्यान्वयन के प्रभावी होने की तिथि में आस्थगन।

फा. सं. 01/91/180/648/एएम09/निर्यात प्रकोष्ठ.—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 62 (आर.ई.–2013)/2009–2014 दिनांक 26.06.2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. सार्वजनिक सूचना सं. 62 (आर.ई.–2013)/2009–2014 दिनांक 26.06.2014 की क्रम सं. 3(i) ख में यथा उल्लिखित मोनो–कार्टन पैकेजिंग पर बार–कोडिंग के कार्यान्वयन की तिथि 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगी।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

सार्वजनिक सूचना सं. 62 दिनांक 26.06.2014 के अनुसार, मोनो कार्टन्स को द्वितीयक स्तर की पैकेजिंग के भाग के रूप में माना जाता है और तद्नुसार द्वितीयक स्तर की पैकेजिंग के रूप में मोनो कार्टन पर बार–कोड लगाने की आवश्यकता 26.6.2014 से प्रभावी हुई थी। अब मोनो कार्टन पर द्वितीयक स्तर की पैकेजिंग के रूप में बार–कोड लगाने की प्रभावी तिथि को आस्थगित कर 1 अप्रैल, 2015 कर दिया गया है। सार्वजनिक सूचना सं. 62, दिनांक 26.06.2014 में अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th August, 2014

No. 68 (RE-2013)/2009—2014

Sub. : Deferment in the date of effect of implementation of bar-coding on Mono-carton as Secondary Level Packaging on export consignment of pharmaceuticals and drugs for tracing and tracking purpose.

F.No. 01/91/180/648/AM 09/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Public Notice No. 62(RE-2013)/2009-2014 dated 26.06.2014.

2. The date of implementation of bar-coding on Mono-carton packaging as mentioned at Sl. No. 3(i) b of Public Notice No. 62(RE-2013)/2009-2014 dated 26.06.2014 will come into effect from 1st April, 2015.

3. **Effect of this Public Notice:**

As per Public Notice No. 62 dated 26.06.2014, Mono-cartons are to be treated as part of Secondary Level Packaging and accordingly the requirement of affixing bar-codes on Mono-carton as Secondary Level Packaging became effective from 26.06.2014. Now the effective date of affixing bar-codes on Mono-carton as Secondary Level Packaging has been deferred to 1st April, 2015. There shall be no other change in Public Notice No. 62 dated 26.06.2014.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.